


23/6/24 पत्रावली वाले इन्ड्रेज पेज हुनी। वकील पार्सी
उपस्थित। पार्सी का जर्जन पग 251(क) राबकोअ
न्यायादित में स्वीकार किया जाता है निर्णय प्रथम
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुम्भ होकर नम्बर होकर होकर
दफ्तर दाखिल है।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

